रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082021-228881
CG-DL-E-10082021-228881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10, 2021/श्रावण 19, 1943
No. 451] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 2021/SHRAVANA 19, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 551(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 115ञख की उप-धारा (2घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:–

1. संक्षिप्त शीर्ष- इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (तेईसवाँ संशोधन), नियम, 2021 है।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10दक के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जा सकेगा, अर्थात्: -

"10दख. धारा 115ञख की उप-धारा (2घ) के प्रचालन के कारण धारा 115 ञख की उप-धारा (1) के अधीन देय कर में राहत- (1) धारा 115ञख की उप-धारा (2ङघ) के प्रयोजनों के लिए, धारा 115ञख की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा देय कर, उस धाराके बारे में पिछले वर्ष के लिए, निम्नलिखित राशि से कम किया जा सकेगा, अर्थात्: -

(क-ख) - (घ-ग), जहां,

क = पिछली आय सहित पिछले वर्ष के बही लाभ पर धारा 115ञख की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा देय कर;

ख = पिछली आय के साथ बही लाभ को कम करने के पश्चात पिछले वर्ष के बही लाभ पर धारा 115ञख की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा देय कर;

ग = वे पिछले वर्ष या वर्षों जिनसे पिछली आय संबंधित है, के बही लाभ पर धारा 115ञख की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारादेय करका योग;

घ = ऐसे वर्ष या वर्षों की सुसंगत पिछली आय के साथ बही लाभ में वृद्धि के पश्चात, मद ग के बारे में, पिछले वर्ष या वर्षों के बही लाभ परधारा 115ञख की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारिती कंपनी द्वारा देय कर का योग:

परंतु यदि फार्मूला में (क-ख)-(घ-ग) का मान ऋणात्मक है, तो उसका मान शून्य समझा जा सकेगा ।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए पिछली आय, पिछले वर्ष या बही लाभ में सम्मिलित वर्षों की आय की राशि धारा 92गग के अधीन निर्धारिती द्वारा अग्रिम मूल्यांकन करार करने के कारण पिछले वर्ष या धारा 92गड़ के अधीन अपेक्षित द्वितीय समायोजन के कारण होगी।

(3) उप-नियम (1) के उपबंध के आवेदन पर, धारा 115ञकक के अधीन निर्धारिती को अनुमत टैक्स क्रेडिट उस राशि से कम किया जा सकेगा जो कटौती की राशि के समान है जिसे उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञात किया गया है।

(4) निर्धारिती कंपनी प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो द्वारा निर्दिष्ट रीति में उक्त प्ररूप के हस्ताक्षरित प्रिंटआउट को प्ररूप संख्या 3 गङङकको इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करके धारा 115ञख की उप-धारा (2घ) के अधीन राहत के लिए दावा करेगी।

(5) प्ररूप संख्या 3 गङङक को उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जा सकेगा जो धारा 140 के अधीन निर्धारिती कंपनी की आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है।

(6) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो, प्ररूप संख्या 3 गङङक को फाइल करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करेगा और इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए कथनों के संबंध में उपयुक्त सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और क्रियान्यवित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरण 1.- फार्मूला में राशि "क" का मूल्य शून्य समझा जा सकेगा , यदि पिछली आय सहित उस पिछले वर्ष के बही लाभ पर धारा 115ञख की उप-धारा (1) के अधीन कोई कर देय नहीं है।

स्पष्टीकरण 2.- फार्मूला में राशि "ख" का मूल्य शून्य समझा जा सकेगा , यदि पिछली आय के साथ बही लाभ को कम करने के पश्चात उस पिछले वर्ष के बही लाभ पर धारा 115ञख की उप-धारा (1) के अधीन कोई कर देय नहीं है।

स्पष्टीकरण 3.- फार्मूला में राशि "ग" की गणना के प्रयोजनों के लिक, यदि किसी पिछले वर्ष या वर्षों में उस वर्ष या वर्षों के बही लाभ पर धारा 115ञख की उप-धारा (1) के अधीन कोई कर देय नहीं है, तो उस वर्ष या वर्षों के लिए देय कर शून्य समझा जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण 4.- फार्मूला में "घ" राशि की गणना के प्रयोजनों के लिए, यदि किसी पिछले वर्ष या वर्षों में उस वर्ष या वर्षों की सुसंगत पिछली आय के साथ बही लाभ में वृद्धि के पश्चात, उस वर्ष या वर्षों के बही लाभ पर धारा 115ञख की उप-धारा (1) के अधीन कोई कर देय नहीं है,तो ऐसे वर्ष या वर्षों के लिए देय कर शून्य समझा जा सकेगा ।

3. मूल नियम की परिशिष्ट 2में, प्ररूप संख्या 3गङङ के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूपअंत:स्थापित किया जा सकेगा , अर्थात्:-

"प्ररूप संख्या 3गङङङ"

[नियम 10दख का उप-नियम (4) देखें]

धारा 92गङ के अधीन द्वितीय समायोजन के कारण किसी कंपनी द्वारा या धारा 92गग के अधीन दर्ज किए गए अग्रिम मूल्यांकन करार के कारण पिछले वर्ष के लेखा बही में सम्मिलित पिछले वर्ष(वर्षों) की आय के कारण किसी भी समायोजन के लिए पुनर्गणना हेतु 31 मार्च..... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विशिष्टियाँ प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	ब्यौरा
1.	कंपनी का नाम और पता	
2.	स्थायी खाता संख्या	
3.	आवागय स्थिति	
4.	सुसंगत पिछले वर्ष	
5.	क्या यह एपीए या द्वितीय समायोजन का मामला है	

<table>
<tr><td>6.</td><td>पिछली आय का ब्यौरा [नियम 10दख के उप-नियम (2) का निर्देश]ब्यौरा</td><td>सुसंगत पिछले वर्ष</td><td>पिछली आय की राशि</td><td>पिछली आय की कुल राशि</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>नियम 10दख के उप-नियम (1) में फार्मूला की राशि क (पिछली आय सहित पिछले वर्ष के बही लाभ पर देय कर)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>नियम 10दख के उप-नियम (1) में फार्मूला की राशि ख (पिछली आय को छोड़कर पिछले वर्ष के बही लाभ पर देय कर)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>क-ख (मद 7 पर राशि घटा मद 8 पर राशि)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>देय कर के ब्यौरा के साथ नियम 10दख के उप-नियम (1) में फार्मूला की राशि ग</td><td colspan="2">(I) नियम 10दख के उप-नियम (1) में फार्मूला की राशि ग</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">(II) पिछले वर्षों के बही लाभ पर देय कर का ब्यौरा</td></tr>
<tr><td></td><td>सुसंगत पिछले वर्ष</td><td>पिछली आय की राशि</td><td>पिछले वर्षों के बही लाभ पर देय कर का योग</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>देय कर के ब्यौरा के साथ नियम 10दख के उप-नियम (1) में फार्मूला की राशि घ</td><td colspan="2">(I) नियम 10दख के उप-नियम (1) में फार्मूला की राशि ग</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">(II) पिछले वर्षों के बही लाभ पर देय कर का ब्यौरा</td></tr>
<tr><td></td><td>सुसंगत पिछले वर्ष</td><td>पिछली आय की राशि</td><td>पिछले वर्षों के बही लाभ पर देय कर का योग</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>घ-ग (मद 11 पर राशि घटा मद 10 पर राशि)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>धारा 115ञख (2घ) के अधीन कर में राहत (मद 9 पर राशि घटा मद 12 पर राशि)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

सत्यापन

मैं ____, घोषणा करता हूं कि ऊपर जो कथन किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। आज _____ के दिन सत्यापित किया जाता है।

स्थान:

तारीख:

.....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर।"।

[अधिसूचना सं. 92/2021/फा. सं. 370142/21/2021-टीपीएल (भाग)]

राजेश कुमार भूत, संयुक्त सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में क्रम संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 545(अ), तारीख 9 अगस्त, 2021 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।